अधिसूचना संख्या 173/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1960(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस.ओ.373(ई) दिनांक 19 मार्च, 2004 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के तहत जारी, केंद्र सरकार ने क्रम संख्या 6 पर, "एसीआईएल नवसर्जन ग्रामीण विकास फाउंडेशन (एएनए आरडीई फाउंडेशन), सी/ओ एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, चौथी मंजिल, बलदोटा भवन, 117, एम.के. रोड, मुंबई - 400020" द्वारा "गरीबों, बंजर भूमि और प्रबंधन और नेटवर्किंग और संपर्क के लिए संसाधनों का लाभ उठाकर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक-आर्थिक विकास" को वित्तीय वर्ष 2003-2004 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1828(ई) दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था जिसे अधिसूचना एस.ओ. संख्या 2045(ई) दिनांक 6 अगस्त, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना एस.ओ. संख्या 1081(ई) दिनांक 14 मई, 2012 के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1081(ई) दिनांक 14 मई, 2012 द्वारा अनुमानित लागत 10.00 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 13.04 करोड़ रुपये कर दी गई थी;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के बारह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या योजना को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, (क) एतद्द्वारा "गरीबों, बंजर भूमि और प्रबंधन और नेटवर्किंग और संपर्क के लिए आय सृजन के संसाधनों का लाभ उठाने के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है जो "एसीआईएल नवसर्जन ग्रामीण विकास फाउंडेशन (एएनएआरडीई फाउंडेशन), सी/ओ एजिस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, चौथी मंजिल, बलदोटा भवन, 117, एम. के. रोड, मुंबई - 400020" द्वारा अनुमोदित लागत 13.04 करोड़ रुपये में किसी भी बदलाव के बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में किया जा रहा है।

■■